

## बिहार लोक सेवा आयोग,

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

### आपत्ति अभ्यावेदनों के आधार पर औपबंधिक रूप से अर्हित/अनर्हित उम्मीदवारों की विस्तृत सूची

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में फारसी विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु वि.सं. 47/2014 के अन्तर्गत अर्हित/अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कर दिनांक 01.07.2019 तक आपत्ति अभ्यावेदन की मांग की गयी थी। तदालोक में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र एवं पूर्व में आवेदन में किये गये दावा के आलोक में अनर्हित से पूर्णतया औपबंधिक रूप से अर्हित करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.सं.	नाम	अनुक्रमांक	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	मो. फिरोज आलम	47010144	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित
2.	मो. कमर आलम	47010197	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित
3.	परवेज अहमद पाल	47010312	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित


2. शेष निम्नलिखित उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण पुनः अस्वीकृत करते हुए अनर्हित की श्रेणी में यथावत रखा गया है:-

47010005	47010021	47010047	47010066	47010090	47010186	47010253	47010279
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3. उपरोक्त अर्हित/औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों की अर्हता पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा Ph.D/M.Phil with UGC Regulation 2009 का दावा किया गया है, उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत Pre Ph.D अंकपत्र एवं Ph.D/M.Phil कितने और किन-किन Criteria से उत्तीर्ण हुए हैं, से सम्बंधित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय समर्पित करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को Ph.D/M.Phil without UGC Regulation 2009 माना जाएगा।

5. आयोग के वेबसाईट पर पूर्व से प्रदर्शित अर्हित उम्मीदवारों की सूची (उपर्युक्त औपबंधिक रूप से अर्हित 03 उम्मीदवारों सहित) में से नियमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा जिसकी सूचना बाद में प्रकाशित की जायेगी।

  
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना